झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यूपी (एस) संख्या 1014/2017

1. दयानंद पोद्दार, पिता- श्री फकीर पोद्दार, ग्राम एवं पोस्टि- कृष्णापुरी, रोड नंबर 1-बी, रेलवे कॉलोनी (पूर्व), थाना- चुटिया, जिला- रांची।

2. ब्रजेश पाठक, पिता- स्व. उग्रदेव पाठक, अरसंडे, झारखंड ई-रे के पास, कांके, पोस्ट एवं थाना कांके, जिला-रांची

3. श्रीमती रीता तिर्की, पति- पी. तिर्की, भगत लॉज के पास, विश्वाडस भवन के सामने, लोअर बर्दवान कम्पाउंड, पोस्ट एवं थाना- लालपुर, जिला- रांची

4. जोसेफ केरकेट्टा, पिता- निकोलस केरकेट्टा, एजी चर्च स्कूल के पास, बरियातु, पोस्टे एवं थाना बरियातु, जिला रांची।

5. जोसेफ केरकेट्टा, पिता- निकोलस केरकेट्टा, एजी चर्च स्कूल के पास, बरियातु, पोस्टे एवं थाना बरियातु, जिला रांची।

6. सुकरा मुंडा, पिता- स्व. मनरखन मुंडा, कदमा, पोस्टर एवं थाना कांके, जिला-रांची

.....याचिकाकर्ता

बनाम

1. झारखंड राज्य (सचिव के माध्यम से), मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार, कार्यालय- टेलीफोन भवन, धुरवा, रांची-4, पोस्ट एवं थाना- धुरवा, जिला- रांची।

2. झारखंड राज्य (सचिव के माध्यम से), मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड सरकार, कार्यालय- टेलीफोन भवन, धुरवा, रांची-4, पोस्ट एवं थाना- धुरवा, जिला- रांची।

3. जिला शिक्षा अधिकारी, रांची कार्यालय- न्यायालय परिसर, पोस्टन जीपीओ, थाना कोतवाली, जिला-रांची।

4. जिला शिक्षा अधिकारी, रांची कार्यालय- न्यायालय परिसर, पोस्टन जीपीओ, थाना कोतवाली, जिला-रांची।

…….उत्तरदाता

----- -

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री प्रमथ पटनायक

----- -

याचिकाकर्ता के लिए : श्री एम. एम. पान, अधिवक्ता

उत्तरदाता के लिए : एस. सी. IV के जे. सी.

02/18.04.2017 दोनों पक्षों को सुना गया।

2. याचिकाकर्ताओं ने इस रिट याचिका में प्रार्थना की है कि उत्तरदाता सं. 3 को निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुात उस अभ्यावेदन पर विचार करें, जिसमें पत्र सं. 2798, दिनांक 26.09.2007 के अनुसार अंतरिम राहत और शिक्षण भत्ते की राशि की गणना करने के बाद संशोधित वेतनमान में दिनांक 01.01.1996 से उनका वेतन पुनर्निर्धारित करने की मांग की गई है।

3. वर्तमान याचिका में छह याचिकाकर्ता हैं, जिनमें से याचिकाकर्ता सं. 2 सहायक शिक्षक के पद से 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हो गए है तथा शेष याचिकाकर्ता अभी भी सेवा में हैं।

4. झारखंड राज्य के वित्त विभाग द्वारा दिनांक 08.02.1999 को जारी संकल्प संख्या 660 के तहत सरकारी कर्मचारियों का वेतनमान 01.01.1996 से संशोधित किया गया था तथा दिनांक 20.08.2007 के संकल्प संख्या 2315 के तहत सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक स्कूल के शिक्षकों तथा शिक्षकेतर कर्मचारियों का वेतन भी 01.01.1996 से संशोधित किया गया था।

5. याचिकाकर्ताओंके विद्वत अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि पत्र संख्या 2728 दिनांक 26.09.2007 में संशोधित वेतनमान में वेतन निर्धारण के संबंध में निर्देश/दिशानिर्देश दिए गए हैं। उसमें विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि भत्ता और अंतरिम राहत जोड़ने के बाद ही वेतन निर्धारित किया जाना है।

6. इस संदर्भ में, याचिकाकर्ताओंके विद्वत अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता संबंधित प्राधिकारी को अपना अभ्यायवेदन समर्पित कर चुके हैं तथा इसी मुद्दे पर माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा सी. डब्लू. जे. सी. सं. 2897/2005 में 10.05.2011 को आदेश भी पारित किया गया है।

7. एस. सी. IV के विद्वत जे. सी. ने निवेदन किया है कि उत्तरदाता सं. 3 याचिकाकर्ताओं के दावे का निर्णय करने के लिए सक्षम प्राधिकारी हैं और यदि याचिकाकर्ता उक्त प्राधिकारी के समक्ष नया अभ्यावेदन प्रस्तुयत करें, तो उस पर विचार किया जाएगा और उचित आदेश पारित किया जाएगा।

8. याची की सीमित शिकायत को ध्यान में रखते हुए और मामले के गुण-दोष का विश्लेषण किए बिना, याचिकाकर्ताओं को आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर उत्तरदाता सं. 3-जिला शिक्षा अधिकारी, रांची के समक्ष एक नया अभ्यावेदन दाखिल करने की स्वतंत्रता देते हुए इस रिट याचिका का निपटान किया जाता है। उक्त अभ्यावेदन की प्राप्ति पर, उक्त उत्तरदाता याचिकाकर्ताओं की शिकायत पर सही परिप्रेक्ष्य में और विधिसम्मपत विचार करेंगे तथा अभ्यावेदन की प्राप्ति की तारीख से चार सप्ताह के भीतर तर्कसंगत आदेश पारित करके याचिकाकर्ताओं को सूचित करेंगे।

9. यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यदि याचिकाकर्ताओं की शिकायत सही पाई जाती है और वे पुनर्निर्धारण के बाद संशोधित वेतनमान की राशि प्राप्त करने के हकदार हैं, तो अगले आठ सप्ताह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ताओं को भुगतान किया जाएगा।

10. उपर्युक्त निर्देश के साथ, इस रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(प्रमाथ पटनायक, न्याया0)

एसबी